CNR No.– UPME010081382026

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निवारण (V.B.U.P.S.E.B.), मेरठ

पीठासीन अधिकारी–अजय कुमार – I, (एच०जे०एस०) J.O. Code UP–6395

कम्प्यूटर रजिस्ट्रेशन सं०– 2714/2026

अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र सं०–67/2026

सौरभ गर्ग पुत्र सत्य प्रकाश गर्ग, निवासी– 256 डी, मधुबन कॉलोनी, बागपत रोड, मेरठ, जिला मेरठ। **.....आवेदक/अभियुक्त**

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य **..... अभियोजन पक्ष**

मु०अ०सं०–280/2026
अन्तर्गत धारा–7/12 भ्र०नि० अधि०, 1988
थाना–टी०पी०नगर, जिला– मेरठ,
परिवर्तित थाना एन्टीकरप्शन मेरठ।

उपस्थित:– अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री अनुज कुमार शर्मा।
राज्य की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक श्री डॉ संजीव कुमार गुप्ता।

दिनांक– 17.06.2026

1. प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र आवेदक/अभियुक्त सौरभ गर्ग पुत्र सत्य प्रकाश गर्ग के विद्वान अधिवक्ता की ओर से मु०अ०सं०– 280/2026 अन्तर्गत धारा–7/12 भ्र०नि०अधि०, थाना–टी०पी०नगर, जिला– मेरठ, परिवर्तित थाना– एन्टीकरप्शन मेरठ के मामले में प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त ने पैरोकार के रूप में अपना स्वयं का शपथ पत्र प्रस्तुत किया है।

2. अभियोजन प्रपत्रों के अनुसार अभियोजन मामला इस प्रकार है कि शिकायतकर्ता ने दिनांक 19.05.2026 को एक शिकायती प्रार्थना पत्र भ्र०नि०सं० मेरठ में प्रभारी निरीक्षक महोदय को इस आशय का दिया था कि दिनांक 14.03.2026 को विपक्षी आबिद पुत्र श्री साबिर ने अपने परिजनों के साथ शिकायतकर्ता फरहीन के घर पर आकर परिवारीजनो के साथ झगड़ा किया था, जिसके पश्चात आबिद के भाई खालिद द्वारा शिकायतकर्ता फरहीन व उसके परिवारीजन जुबैर, इशान, सानिया, बोबी उर्फ साबिर के विरुद्ध थाना ब्रहमपुरी, जनपद मेरठ पर मु0 अ 0 सं0–113/2026 धारा 109, 191(2), 191(3), 352, 351(3), 118(1) बी.एन.एस. पंजीकृत कराया गया। उक्त अभियोग की विवेचना थाना ब्रहमपुरी, मेरठ पर तैनात उ०नि० श्री वैभव द्वारा सम्पादित की जा रही है। उक्त अभियोग में फरहीन, सानिया, बोबी उर्फ साबिर की मा० न्यायालय से जमानत हो चुकी है। शिकायतकर्ता फरहीन के भाई इशान का जमानत प्रार्थना पत्र दिनांक 01.05.2026 को मा० न्यायालय में दाखिल किया गया था, जिसके संबंध में संबंधित थानें से रिपोर्ट मांगी गयी तथा विवेचक उ०नि० श्री वैभव द्वारा रिपोर्ट तैयार कर भेज दी गयी है। लेकिन इशान की जमानत से संबंधित केस डायरी उ०नि० श्री वैभव द्वारा नहीं भेजी गयी है। शिकायतकर्ता के भाई इशान की जमानत हेतु दिनांक 06.05.2026, 13.05.2026, 18.05.2026 को सुनवाई हेतु नियत की गयी है। लेकिन मुकदमें से संबंधित केस डायरी विवेचक द्वारा मा० न्यायालय में नहीं भेजी गयी है। शिकायतकर्ता दिनांक 16.05.2026 को अपने सहयोगी श्री संजीव कुमार एडवोकेट के साथ

उ०नि० श्री वैभव से मिलने चौकी माधवपुरम के पीछे स्थित कालोनी में उनके आवास पर गयी थी, वहां पहुंचकर शिकायतकर्ता ने उपरोक्त अभियोग के संबंध में उ०नि० श्री वैभव से बात की। श्री वैभव ने शिकायतकर्ता से कहा था कि उसने धारा 109 बी.एन.एस. को धारा 110 बी.एन.एस. में तरमीम करके चार्जशीट लगा दी है। यदि आप चाहती है कि इस चार्जशीट पर सी०ओ० कार्यालय से कोई आपत्ति न लगे और यहीं चार्जशीट मा० न्यायालय में दाखिल हो जाये तो इसके लिए 60,000/–रूपये देने होगें। यदि आपने 60 हजार रूपये नहीं दिये तो सी०ओ० कार्यालय वाले एतराज लगाकर उसे वापस कर देगें और शिकायतकर्ता से कहा कि तुम्हारे भाई इशान की जमानत के लिए केस डायरी मा० न्यायालय में भेजनी है। 60,000/–रूपये देने में असमर्थता जताने पर उ०नि० श्री वैभव ने शिकायतकर्ता से कहा कि 50 हजार रूपये से कम नहीं होगें। अगर 50 हजार रूपये नहीं दिये तो विपक्षी आबिद की तरफ से तुम्हारे विरुद्ध आये झूठे प्रार्थना पत्र पर मुकदमा दर्ज करवा दूंगा। शिकायतकर्ता ने मजबूरी वश पैसे देने की हामी भर ली है। आरोपी उ०नि० श्री वैभव ने शिकायतकर्ता को दिनांक 21.05.2026 तक पैसे देने का समय दिया है। लेकिन शिकायतकर्ता ऐसे भ्रष्ट लोक सेवक को रिश्वत देना नहीं चाहती है, बल्कि उसे रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों पकड़वाना चाहती हैं। शिकायती प्रार्थना पत्र की प्रीट्रैप जांच करने हेतु प्रभारी निरीक्षक, भ्र०नि०सं०, मेरठ श्री दुर्गेश कुमार द्वारा प्रीट्रैप जांच आख्या की दी गयी। प्रीट्रैप जांच से शिकायत की पुष्टि होने पर ट्रैप टीम का गठन किया गया। ट्रैप टीम के द्वारा दिनांक 21.05.2026 को जिलाधिकारी महोदय मेरठ के द्वारा नामित स्वतन्त्र साक्षीगण की उपस्थिति में अभियुक्त वैभव को शिकायतकर्ता से 50,000/– रुपये रिश्वत के लेते हुये रंगे हाथों मौके से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में फर्द तैयार की गयी। फर्द के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है।

3. आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत इस जमानत प्रार्थना पत्र में आधार लिया गया है कि आवेदक/आरोपी निर्दोष है और उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। आवेदक/आरोपी "S.S. Printing Press" नाम से एक छोटी प्रिंटिंग प्रेस चलाता है, जिससे वह अपना और अपने परिवार का भरण-पोषण करता है। शिकायतकर्ता द्वारा प्राथमिकी में किया गया यह दावा कि आवेदक/आरोपी ने गौरव को फोन किया और कहा कि संजीव नाम का वकील आएगा और उसे 50,000 रुपये देगा, एक झूठा आरोप है। आवेदक/आरोपी की सब-इंस्पेक्टर वैभव के साथ कोई दोस्ती, जान-पहचान या किसी भी तरह का कोई संबंध नहीं है। आवेदक/आरोपी ने न तो कोई रिश्वत ली है और न ही सह-आरोपी गौरव को ऐसी कोई बात कहने के लिए फोन किया है; बल्कि, एंटी-करप्शन टीम ने दुर्भावनापूर्ण इरादे से आवेदक/आरोपी को इस मामले में झूठा फंसाया है। आवेदक/आरोपी एक सम्मानित छोटे व्यवसायी हैं और टी०पी० नगर पुलिस स्टेशन की पुलिस उन्हें गिरफ्तार करके अपमानित करना चाहती है, जिससे समाज और व्यापार में उनकी छवि खराब होगी। इसलिए, यह उचित और न्यायसंगत है कि आवेदक/आरोपी को B.N.S.S. की धारा 482 के तहत राहत दी जाए। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 और 12 के तहत आवेदक/आरोपी के खिलाफ प्रथम दृष्टया कोई मामला नहीं बनता है। आवेदक/आरोपी पर लगाया गया आरोप प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा 7 और 12 के अंतर्गत आता है, जिसमें तीन से सात साल तक की जेल की सजा का प्रावधान है। माननीय न्यायालय आवेदक/आरोपी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करता है, तो उसकी प्रतिष्ठा और सार्वजनिक छवि को अपूरणीय क्षति होगी। आवेदक/आरोपी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

4. अभियुक्त अधिवक्ता को प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र पर सुना।

5. विद्वान विशेष लोक अभियोजक को सुना। विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा प्रार्थना पत्र का विरोध कराते हुए कथन किया कि अपराध गम्भीर प्रकृति का है एवं अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत उक्त अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने का अनुरोध किया है।

6. अभियुक्त की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान विशेष लोक अभियोजक के तर्कों को सुना तथा पत्रावली का सम्यक् अवलोकन किया।

7. पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार आवेदक/अभियुक्त सौरभ गर्ग के विरुद्ध यह आरोप है कि उसके द्वारा उपनिरीक्षक वैभव दरोगा के कहने के आधार पर सह–अभियुक्त गौरव को शिकायतकर्ता से 50,000/– रूपये की उत्कोच प्राप्त करने के लिए भेजा गया व मौके से सह–अभियुक्त गौरव गर्ग के रंगे हाथो गिरफ्तार होने पर उसके द्वारा जुर्म इकबालिया बयान में यह स्वीकार किया गया कि प्रिंटिंग प्रेस के मालिक सौरभ गर्ग के कहने पर दरोगा जी वैभव के लिए 50,000/– रूपये की रिश्वत लेने के लिए आया था। केस डायरी के पर्चा नम्बर 8 दिनांकित 11.06.2026 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि सम्बंधित विवेचक द्वारा आवेदक/अभियुक्त सौरभ गर्ग S.S. printing press, माधवपुरम मेरठ पर आकर उपरोक्त आरोपी को बयान हेतु तलाश किया किन्तु वह नही मिला व प्रिंटिंग प्रेस के आफिस में मौजूद इसरार अहमद प्रबंधक से भी अभियुक्त सौरभ के सन्दर्भ में जानकारी की तो बताया कि काफी समय से नही आए है। इसरार अहमद को धारा 35(3) BNSS का नोटिस तामील कर हस्ताक्षर कराए गये कि दिनांक 15.06.2026 को सौरभ गर्ग अपने बयान दर्ज कराने हेतु थाना ACO मेरठ पर उपस्थित हो। उक्त पर्चे के साथ आवेदक/अभियुक्त सौरभ को दिया गया नोटिस अन्तर्गत धारा 35(3) BNSS, 2023 की प्रति भी संलग्न की गई है।

8. यह भी उल्लेखनीय है कि धारा 35(3) BNSS किसी पुलिस अधिकारी जिसके द्वारा किसी मामले में उप धारा (1) के अधीन किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी अपेक्षित न होने के आधार पर उक्त व्यक्ति को उसके समक्ष उपसंजात होने के लिए सूचना के रूप में दिया जाता है व धारा 35(4) के अनुसार ऐसी सूचना दिये जाने पर उस व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा की वह सूचना के निबंधनो का अनुपालन करे।

9. आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तथ्य स्वीकार किया है कि धारा 35(3) का नोटिस आवेदक/अभियुक्त को प्राप्त हुआ है किन्तु वह स्वास्थ खराब होने के कारण सम्बंधित विवेचक के समक्ष उपस्थित नही हो सका। ऐसी स्थिति में आवेदक/अभियुक्त सौरभ गर्ग को अपनी गिरफ्तारी की युक्तियुक्त आशंका होने का कोई न्यायोचित आधार केस डायरी पर उपलब्ध सामाग्री से परिलिक्षित नही होता है। आवेदक/अभियुक्त के द्वारा अपने जमानत प्रार्थना पत्र में यह तर्क लिया गया है कि थाना पुलिस टी०पी०नगर उसे बेइज्जत करने के लिए गिरफ्तार करना चाहती है जिससे उसकी छवी समाज में धूमिल हो सके। किन्तु उक्त आशंका का कोई युक्तियुक्त आधार जमानत प्रार्थना पत्र में होना नही दर्शाया गया है।

सावित्री अग्रवाल एवं अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य (2009)8 ए.सी.सी. 325 के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह टिप्पणी की गयी है कि धारा 438 दं.प्र.सं. से सम्बंधित उपबन्ध प्रयोग किये के पूर्व न्यायालय इस बात से संतुष्ट होना चाहिए कि आवेदक को गिरफ्तारी की आशंका है व आवेदक का ऐसा विश्वास किसी युक्तियुक्त आधार पर होना चाहिए।

10. उपरोक्त के अलावा **माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद** द्वारा **फौजदारी प्रकीण अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र (अंतर्गत धारा–438 दं.प्र.सं.) सं. 12494/2022 यूनिस खान बनाम उ.प्र. राज्य एवं अन्य ए.एफ.आर.** में यह मताभिव्यक्ति गयी है कि–"it may be kept in mind that anticipatory bail is an extraordianry remedy to be exercised in suitable cases only. The power under section 438crpc cannot be utilized in a routine manner and definitely not as a substitute for regular bail."

इसी प्रकार **माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद** द्वारा **सिद्धार्थ वरदराजन बनाम राज्य, जमानत सं. 2776/2020** दिनांकित 15.05.2020 में यह मताभिव्यक्ति की गयी है कि–

"The grounds on which apprehension of arrest is based must be capable of being examined by the Court objectively. Then alone the Court can determine whether the applicant has reason to believe that he would be arrested."

11. आवेदक/अभियुक्त के गिरफ्तारी की आशंका को कोई समुचित आधार न तो आवेदक के जमानत प्रार्थना पत्र में उपलब्ध है न ही न्यायालय के समक्ष पेश की गई केस डायरी से परिलिक्षित होता है। अतः ऐसी स्थिति में अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय के समक्ष पोषणीय नही है। उपरोक्त के अलावा यह भी गौर तलब है कि प्राथमिकी के अनुसार आवेदक/अभियुक्त के द्वारा मुख्य अभियुक्त उ०नि० वैभव के कहने के आधार पर शिकायतकर्ता से 50,000/– रुपये उत्कोच प्राप्त करने हेतु सह–अभियुक्त गौरव गर्ग को भेजा गया। सह–अभियुक्त उ०नि० वैभव व आवेदक/अभियुक्त सौरभ गर्ग के बीच में घटना के समय हुई बात–चीत के सम्बंध में केस डायरी के साथ CDR उपलब्ध कराया गया है जिसके आधार पर भी आवेदक/अभियुक्त की इस मामले में संलिप्तता होनी बताई गई है।

जहां तक समानता के आधार पर आवेदक/अभियुक्त को जमानत प्रदान किये जाने का प्रश्न है, इस सम्बंध में यह उल्लेखनीय है कि इस मामले में सह–अभियुक्त सौरभ गर्ग को शिकायतकर्ता निरीक्षक मयंक कुमार अरोरा द्वारा गिरफ्तारी मेमो तैयार कराने के उपरान्त उसकी तबियत खराब होने के कारण धारा 35(3) BNSS का नोटिस तामील कराकर जमानत व निजी मुचलके पर रिहा किया गया जिसे इस न्यायालय द्वारा विधि विरूद्ध होने के कारण सम्बंधित शिकायतकर्ता का स्पष्टिकरण तलब किया गया।

12. इस प्रकार वर्तमान प्रकरण के उपरोक्त समस्त सारवान तथ्यों एवं परिस्थितियों में इस न्यायालय के विचार से आवेदक/अभियुक्त के द्वारा कारित किया गया अपराध अत्यन्त गम्भीर प्रकृति का है एवं प्रस्तुत मामले में अभियुक्त की भूमिका उसके साक्ष्य को प्रभावित करने की सम्भावनाओं तथा उसके आयामों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त को अग्रिम जमानत प्रदान किये जाने का आधार पर्याप्त नहीं है,अतैव इस प्रकरण के गुण–दोष पर कोई टिप्पणी किये बिना अभियुक्त का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त आवेदक/अभियुक्त सौरभ गर्ग पुत्र सत्य प्रकाश गर्ग की ओर से मु०अ०सं०– 280/2026 अन्तर्गत धारा–7/12 भ्र०नि०अधि०, थाना–टी०पी०नगर, जिला–मेरठ, परिवर्तित थाना– एन्टीकरप्शन मेरठ में प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

दिनांकः 17.06.2026

(अजय कुमार– I)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश
भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम(V.B.U.P.S.E.B.),
मेरठ।

Digitally signed by AJAY KUMAR
Date: 2026.06.17 17:25:19 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court, Meerut